

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 912/2007/भरतपुर

मैसर्स सिंघल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

वृत्त-ब, भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27.02.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 70/ उपा-भरत/06-07/सीएसटी में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 06.11.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ब, भरतपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित धारा 37 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.10.2005 द्वारा कायम की गयी मांग राशि रूपये 36,862/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को वेत अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2001-02 का अन्तिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.01.2004 को पारित करते हुये सैट ऑफ राशि दोनों प्रकरणों में क्रमशः रूपये 23,630/- को स्वीकृत किया गया, इसके पश्चात यह पाये जाने पर कि अधिसूचना क्रमांक F.4(30)FD/TAX-DIV/2002-186 दिनांक 22.03.2002, जिसके तहत सैट ऑफ अनुज्ञेय किया गया, की प्रभावशीलता दि. 22.3.2002 से थी। जिसके अनुसार 22.03.2002 के पश्चात की गयी तिलहन की खरीद पर ही सैट ऑफ अनुज्ञेय है। दिनांक 22.03.2002 से पूर्व खरीदे गये तिलहन पर सैट ऑफ अनुज्ञेय नहीं है। इस प्रावधान की पालना में पूर्व में पारित किये आदेशों में संशोधन करते हुये सैट ऑफ अस्वीकार करते हुये संशोधित आदेश पारित किये गये।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक, एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। बहस में अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा लेखा-पुस्तकों के परीक्षण के पश्चात सचेतन मस्तिष्क से आदेश पारित किये गये थे तथा ऐसे आदेश को संशोधित नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इस दिनांक के पश्चात खरीदे गये माल पर ही सैट ऑफ अनुज्ञेय होगा। अपीलार्थी के पास दिनांक 22.03.2002 को उसके पास उपलब्ध तिलहन के स्टॉक से विनिर्मित खाद्य

लगातार.....2

तेल के अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय पर सैट ऑफ अनुज्ञेय होगा। इस अधिसूचना के द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय पर देय कर से आंशिक मुक्ति प्रदान की गयी है। चूंकि उक्त कार्यवाही मतभिन्नता के आधार पर की गई है जो अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत रेकार्ड की भूल नहीं मानी जा सकती है। अतः उक्त आदेश धारा 37 के तहत संशोधनीय नहीं है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :-

- (i) मैसर्स भीलवाडा स्पीनर्स लिमिटेड, भीलवाडा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत-भीलवाडा, 1 STO 340
- (ii) एसीटीओ बनाम मैसर्स मक्कड प्लास्टिक एजेंसी, 29 TAX UPDATE 253
- (iii) सहायक आयुक्त संकर्म संविदा एवं लिजिंग टैक्स, अलवर बनाम मैसर्स पी एन सी कन्स्ट्रक्शन, धौलपुर 42 TAX UPDATE 101
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम मैसर्स इण्डियन रेयन इंडस्ट्रीज जोधपुर 42 TAX UPDATE 157

बहस के अन्त में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने व अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. प्रत्यर्था विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 के अनुसार राज्य में खरीद की गई सरसों पर अधिसूचना की शर्तों के अध्याधीन ही अपीलार्थी को छूट अनुज्ञेय थी उक्त अधिसूचना पश्चातवर्ती प्रभाव से प्रभावशील है ना कि पूर्ववर्ती प्रभाव से। अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया व न्यायिक दृष्टांतों का ससमान अध्ययन किया गया। अभिलेख के परिशीलन पश्चात हस्तगत प्रकरणों में विवादित बिन्दु यह है कि उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 के अधीन प्रदत्त आंशिक कर मुक्ति के दावे के सम्बन्ध में दिनांक 22.03.2002 को उपलब्ध तिलहन के स्टॉक पर राज्य में खरीद के समय चुकाये गये कर का सैट ऑफ अनुज्ञेय होगा या नहीं ?

7. अधिसूचना क्रमांक F.4(30)FD/TAX-DIV/2002-186 दिनांक 22.03.2002 निम्न प्रकार है :-

"S.O. 433.-In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby [notwithstanding anything contained in Sales Tax New Incentive Scheme for Industries, 1989, and Sales Tax New Deferment Scheme, 1989, issued under the CST Act, 1956] [S.Nos. 764 and 766, printed at pages 72-87 and 104-120 of Part III of the Book - 2000 Edition] allows a dealer, manufacturing **edible oil** in the State of Rajasthan, to claim *partial exemption* of tax paid in the State on **purchase of oilseeds** to the extent it exceed one per cent, from the tax payable on edible oil so manufactured and sold in the course of inter-State trade or commerce, in the manner and subject to the conditions as follows:-

(1) That such exemption shall be allowed only to the extent exceeding one per cent of tax paid under the RST Act, 1994, in relation to his purchases of oilseed from the registered dealers of the State and utilised by him as raw material in the manufacture of edible oil within the State;

(2) That such exemption shall be allowed only in respect of the edible oil so manufactured in the State, only to the extent such edible oil is sold in the course of inter-State trade or commerce;

(3) That the dealer shall prove the actual amount of tax paid under the RST Act, 1994, on the oilseed so used, to the satisfaction of the assessing authority; and in the absence of such proof such amount may be determined by reducing his purchase price by a percentage equal to ten plus the rate of tax notified under S.4, RST Act, 1994, in respect of such goods; and

(4) That no refund of the tax paid on oilseed shall be available under this notification."

उक्त अधिसूचना के सरसरी तौर पर अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है इसको पूर्व अवधि से कय किये गये माल के संबंध में चुकाये गये कर राशि के सेटऑफ का हवाला नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना में जब तक यह स्पष्ट अंकित नहीं किया जाये कि उक्त अधिसूचना पूर्व की तिथि से प्रवृत्त होगी तब तक अधिसूचना के प्रावधान उसके जारी करने की तिथि से ही प्रवृत्त होंगे। अतः उक्त सूचना के प्रवृत्त होने की तिथि दिनांक 22.03.2002 व इसके पश्चात की खरीद पर ही सेटऑफ देय होगा एवं 22.03.2002 से पूर्व से की सरसों खरीद का सेटऑफ अपीलार्थी हकदार नहीं था।


अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों में संचेतक मस्तिष्क से लिये गये निर्णयों में संशोधन नहीं कर सकना प्रतिपादित है परन्तु जबकि अधिसूचना में स्पष्ट है कि दि. 22.03.2002 को जारी अधिसूचना स्पष्ट रूप से प्रावधित करती है कि :-


"..... allows a dealer, manufacturing **edible oil** in the State of Rajasthan, to claim *partial exemption* of tax paid in the State on **purchase of oilseeds** to the extent it exceed one percent, from the tax payable on edible oil so manufactured and sold in the course of inter-State trade or commerce, in the manner and subject to the conditions as follows"

अतः स्पष्ट है कि इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात राज्य में खरीदे गये तिलहन पर 1 प्रतिशत से अधिक कर राशि की आंशिक छूट, उसके द्वारा उसी तिलहन से निर्मित तेल जो कि अन्तप्रान्तीय बिक्री के दौरान विक्रय किया जाये पर देय होने वाले कर के विरुद्ध होगी। क्योंकि उक्त तिलहन खरीद के मामले में पूर्व में खरीदे गये तिलहन को संदर्भित नहीं किया गया है अतः जब तक पूर्ववर्ती तिथि से कोई शर्त अधिसूचना में अंकित नहीं हो तो वह उस तिथि से ही प्रवृत्त मानी जायेगी जिस तिथि से वह अधिसूचना राज्य सरकार लागू की गई है। यह अधिसूचना का गलत व्याख्या का मामला है जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने संशोधन करते हुए दुरुस्त किया है, जो कि रिकार्ड से स्पष्ट भूल है। रिकार्ड से स्पष्ट भूल को दुरुस्त किया जा सकता है इसमें उद्धरित माननीय न्यायालयों के निर्णय अपीलार्थी की मदद नहीं करते है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


27.12.2017
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष